



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 383/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मोहनलाल पुत्र मुखराम जाति नाई साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र बागाराम जाति नाई साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. चंदुराम पुत्र मुखराम जाति नाई साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. कानाराम पुत्र मुखराम जाति नाई साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. कलावती देवी पुत्री मुखराम पत्नी गंगा राम जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. सिलोचना पुत्री मुखराम पत्नी बेगराज जाति नाई निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट आफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राकेशकुमार भाकर वकील-वादी

श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक:- 20.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हरदासवाली बाराणी के खाता संख्या 276/216 के खसरा संख्या 1254/214 की 0.5180है0, खसरा संख्या 1256/214 की 1.3260है0, खसरा संख्या 1264/65 की 2.7880है0, खसरा संख्या 1291/325 की 0.8130है0, खसरा संख्या 1313/214 की 0.8850है0 कुल 6.3300है0बाराणी मे से 1/4 हिस्सा भूमि व इसी रोही हरदासवाली बाराणी के खाता संख्या 277/406 के खसरा संख्या 473/98 की 2.9980है0, खसरा संख्या 551/133 की 8.8550है0 कुल 11.8530है0बाराणी मे से 1/4 हिस्सा भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है, से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को व हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.08.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर  
जिला हनुमानगढ़